तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
6/5/22	पत्रावली पेश हुई। हम दीगर आवश्यक कार्यों म व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 24/5/22...को पेश हो। — विपक्षी सं. 12 बैंक ऑफ बड़ौदा के वकील गंगाराम चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया। 10/05/22
24.05.22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के समक्ष डाक द्वारा भेजकर रसीदें पेश की। रसीदें शामिल पत्रावली की। विपक्षी सं. 12 बैंक ऑफ बड़ौदा के वकील गंगाराम चौधरी उपस्थित। शेष विपक्षीगण अनुपस्थित। इंतजार हो। आइन्दा पत्रावली दि० 15/06/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
15/06/22	पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021 कैम्प शिविर ग्रा. पं. मुख्यालय रतनपुरा पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी को मौके माल सुना गया तथा मौके माल जानकारी ली गई। मौका रिपोर्ट के मुताबिक जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। निर्णय की पालना हेतु तहसील जावे हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णय स्वरूप होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:05:24 IST
Reason: SelfAttested

नामा
अहलकार
हुक्म की
में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 04/2021

प्रार्थीगण :–

1. तुलछा पुत्र लुम्बाराम
   जाति विश्नोई निवासी बारूडी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. केसरा पुत्र होथी
2. जैरूपा पुत्र होथी
3. भूपा पुत्र होथी
4. मसरा पुत्र होथी
5. मांगा पुत्र होथी जाति रबारी निवासी बारूडी
6. अणसी पत्नी देवा
7. ओमप्रकाश पुत्र देवा
8. किशना पुत्र काना
9. भंवरलाल पुत्र देवा
10. श्रीराम पुत्र काना
11. हेमा पुत्र काना जाति विश्नोई निवासी जूडी तहसील गुड़ामालानी
12. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 15/06/22

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री हरीश चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2073–2076 (2078) से स्थायी सरहद मौजा बारूडी पटवार हल्का भाखरपुरा के खेत खसरा नम्बर 251/4 रकबा 4.2573 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में पैमाईश करवाई जाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:05:24 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा बारूडी पटवार हल्का भाखरपुरा के खेत

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी